राजस्थान सरकार

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
... मोबता 2. शरीफ पुत्र मोबता ... पत्नी प्रेमा जाति भील निवासी ... सैयद मौज अली का तला, गौहड़ का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	1. मोहन पुत्र नेता 2. रमेश पुत्र नेता 3. सारों पत्नी नेता 4. निहाल पुत्र मकू जाति भील निवासी सैयद मौज अली का तला, गौहड़ का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर। 5. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मु.न. 411 /2022

प्रार्थी वकील श्री मोहनलाल खिलेरी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। विप्रार्थीगण को तलबी एवं जवाब वास्ते दिनांक 22.12.2022 को पेश हो।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयक्षकारान के हक में क्यास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्षकारान को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील धनाऊ के मौजा सैयद मौज अली का तला पटवार क्षेत्र गौहड़ कात तला भू.अ.नि. क्षेत्र बींजासर के खेत खसरा सं. 19 रकबा 12.1810 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम वादग्रस्त भूमि बेचान या अन्य किसी प्रकार का नहीं हस्तान्तरण करें। रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

22/12/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाई जाकर अग्रिम दिनांक 07/02/23 को पेश हो।

18/01/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। प्रार्थी वकील प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व आवेदन पत्र विड्रो करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान में हम प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य गांव के मौजिज लोगों ने आपसी राजीनामा प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा एवं विप्रार्थीगण 1/2 हिस्सा मूल वाद में राजीनामा पेश किया है इसलिये उक्त आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहते। इसलिये उक्त आवेदन को जरिये राजीनामा विड्रो फरमाया जावें।

अतः प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के प्रकरण को जरिये राजीनामा विड्रो फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा